प्रेषक

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अपर शिक्षा निदेशक।

पत्रांक- शिविर/अ0नि0/5778-7प1 /विविध/34(O)/2014-15 दिनांक26सितम्बर, 2014

विषय- 02 अक्टूबर, 2014 को गांधी जयन्ती समारोह मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-731(1)/XXII//2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के सम्बन्ध में निर्देशित कि

कया जाता है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2014 को गांधी जयन्ती समारोह सम्मानपूर्वक आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रुपरेखा नीचे दी जा रही है। आप स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इसमें यथोचित परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए सक्षम है और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते है, जो इस अवसर पर उपयुक्त हो:-

2- इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में निम्न अनिवार्यतः शामिल किये जाएँ :-

(i) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाय।

(ii) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 8:00 बजे महात्मा गाँधी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन-संघर्ष, उनकी देश-सेवा, उनके जीवन-मूल्यों पर प्रकाश डाला जाय। विशेष रूप से निर्बलों के कल्याण सम्बन्धी "अन्त्योदय" की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के संबंध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाये।

स्कूलों और कॉलेजों में गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों के मध्य वाद-विवाद प्रतियोगिता या गोष्ठी आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत भेद-भाव से दूर रहकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रति शासन की प्रतिबद्धता से जन साधारण को अवगत कराया जाये।

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश भी प्रस्तावित कार्यक्रमों में किया जाए-

(i) विभिन्न संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक विषमता के अभिशाप के उन्मूलन के लिये आम जनता का आह्वान किया जायें तथा इन कार्यक्रमों को नयी गति प्रदान की जाय।

(ii) महिलाओं की उन्नति के लिये गांधी जी द्वारा बताये हुये मार्ग का अनुश्रवण करने, बालिका-शिक्षा के प्रसार, दहेज-प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में

आगे बढ़ने का अवसर देने के लिये सामाजिक चेतना पैदा की जाय तथा इस निमित्त प्रभावी अभियान चलाया जाय।

(iii) गांधी जी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तराखण्ड में उसका व्यापक प्रभाव, गांधी जी द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि पर प्रकाश डाला जाये।

(iv) "सादा जीवन उच्च विचार", मितव्ययता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म समभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये, उन्हें यह भी समझाया जायें कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्त्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिये।

(v) "पंथ निरपेक्षता" की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए, लोगों को प्रेरणा दी जाये कि देश और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भाव से होता है, घृणा से नहीं, मेल–जोल से होता है, वैर भाव से नहीं, एक दूसरे के धर्म के आदर से होता है, अनादर से नहीं।

(vi) सार्वजनकि संस्थाओं तथा गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाली, स्वंयसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की संरचना की आवश्यकता को रेखांकित किया जाय। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर सम्प्रदायों को लोगों में पारस्परिक सद्भावना, एकता तथा सहयोग–भाव बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिये जन–सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जाय।

(vii) राष्ट्रपिता द्वारा लघु, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योगों के विकास व उन्नयन के संबंध में विशेष प्रयत्न किये गये। उत्तराखण्ड में ऐसे उद्योगों के महत्व को देखते हुए आमजन को ऐसे उद्योगों की ओर उन्मुख किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय। उद्योग विभाग इस संबंध में अलग से कार्यक्रम तैयार कर सकता है।

(viii) गाँधी जयन्ती के अवसर पर "स्वच्छ भारत" कार्यक्रम के तहत संकल्प लिया जाय तथा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 : शिविर/अ0नि0/5778–791 /विविध/34(O)/2014–15 दिनांक सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि – निम्नांकित् को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।